न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) मधेपुरा।

A.B.P. No-809/2026
Gamharia P.S. Case No.-146/2017

1. अजय यादव, उम्र करीब 42 वर्ष, पिता– भूपेन्द्र यादव
2. अभिमन्यू यादव, उम्र करीब 36 वर्ष, पिता– स्व0 अर्जुन यादव
3. भुपेन्द्र यादव, उम्र करीब 75 वर्ष, पिता– स्व0 राजाराम यादव
4. बैजनाथ यादव, उम्र करीब 65 वर्ष, पिता– स्व0 राजाराम यादव
5. संजय यादव, उम्र करीब 45 वर्ष, पिता– शिवो यादव
6. दीनबन्धु यादव, उम्र करीब 42 वर्ष, पिता– शिवो यादव
7. मनीष यादव, उम्र करीब 38 वर्ष, पिता– बैजनाथ यादव
8. कुन्दन यादव, उम्र करीब 35 वर्ष, पिता– बैजनाथ यादव
9. रिजय यादव, उम्र करीब 40 वर्ष, पिता– स्व0 अर्जुन यादव

(सभी साकिन –चिकनी फुलकाहा, वार्ड संख्या–04, थाना– गम्हरिया एवं जिला– मधेपुरा।)
.....अभियुक्तगण।

बनाम्

बिहार सरकार .....विपक्षी।

20-07-2026

जमानत आवेदन अभियुक्तागण अजय यादव, अभिमन्यू यादव, भुपेन्द्र यादव, बैजनाथ यादव, संजय यादव, दीनबन्धु यादव, मनीष यादव, कुन्दन यादव एवं रिजय यादव के द्वारा गम्हरिया थाना कांड संख्या–146/2017 अन्तर्गत धाराऐं 341, 323, 385, 380, 504, 506/34 भा0 द0 वि0 में पुलिस द्वारा गिरफ्तारी किये जाने की संभावना से बचने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अन्तर्गत दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन की प्रति विद्वान लोक अभियोजक श्री पुरूषोतम प्रसाद यादव को दी जा चुकी है।

सूचक थानाध्यक्ष गम्हरिया मणिकांत कुमार के लिखित आवेदन के आधार पर अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 30.10.2017 दिन के करीब 5:00 बजे शाम मे अपने दरवाजे पर खड़ा था इसी बीच अजय यादव, रिजय यादव, अभिमन्यू यादव, भुपेन्द्र यादव, अर्जून यादव, वैजनाथ यादव, संजय यादव, दिनबंधु यादव, मनिष यादव एवं कुन्दन यादव रागी व्यक्ति सूचक के दरवाजे पर आया और अर्जून यादव ने कहा कि मार साले को इसी बात पर गाली–गलौज करते हुए उसे अजय यादव, रिजय यादव दोनो व्यक्ति पिस्टल और धारदार हथियार से लैश होकर हमला किया लेकिन झुककर अपने जान बचाने मे कामयाब रहे, इससे पहले भी वे लोग कई बार मारपीट लुटपाट कर चुका है। जो मामला अभी न्यायालय में चल रहा है और सूचक को धमकी देकर रंगदारी के रूप में 1,00000/–रूपया बराबर मांग करता है। नही देने पर जान से मारने की धमकी देता है। दहशत फेलाकर सूचक का निजी जमीन मे बने घर दरवाजा जिसका पुराना एवं नया खतियान उसके दादा के नाम से दर्ज है। इसी बीच बाकी सभी अभियुक्त लप्पड़ थप्पड़ से मारते हुए उसके घर में घुसकर लगभग एक क्विंटल धान का बोरा संजय और बैजनाथ लेकर एवं घर में रखे जिसमे कपड़ा, आठ अन्ना सोने की बाली एवं नगद दस हजार रूपया था, लेकर दीनबंधु आगन के पीछे होकर भाग गया। अजय एवं रिजय उसके माथे से पिस्टल सटाकर धमकी दिया कि साले एक लाख रूपया दो नही जो जान से मार देगे। डर से सूचक ने कहा कि इंतजाम करके दे दूंगा तब जान बचा। सूचक के फर्द बयान के आधार पर नामजद अभियुक्तगण के विरूद्ध गम्हरिया थाना कांड संख्या–146/2017 अन्तर्गत धाराऐं 341, 323, 385, 380, 504, 506/34 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गयी ।

न्यायालय :– जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) मधेपुरा।

लगातार.....
20.07.2026

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री कुमार चंद्र शेखर, के द्वारा यह अभिवाचित किया गया कि पूर्व में आवेदकगण की ओर से इससे पहले इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कोई जमानत आवेदन दाखिल नही की गई है और न ही उसे खारिज किया गया है। आवेदकगण बिल्कुल निर्दोष है तथा भूमि विवाद के कारण झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण के विरूद्ध जिस प्रकार की आरोप की चर्चा की गई है वैसा कोई अपराध नहीं किये है। प्रार्थीगण के विरूद्ध अन्दर धारा 341, 323, 385, 380, 504, 506, 34 भा० द0 वि० के तहत अंतिम प्रतिवेदन सं०– 166/17 दिनांक –23.11.2017 को दिवानी प्रकृति का होना समर्पित किया गया है। प्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 01.07.2024 अन्दर धारा 341, 323, 385, 380, 504, 506, 34 भा० द0 वि० में संज्ञान लिया गया है। धारा 380 भा० द0 वि० को छोड़कर शेष धारायें जमानतीय प्रकृति का है। प्रार्थीगण भूपेन्द्र यादव काफी वृद्ध व्यक्ति है जिनकी उम्र लगभग 75 वर्ष है। प्रार्थी संख्या–03 भूपेन्द्र यादव के विरूद्ध कोई अपराधिक इतिहास नही है। आवेदकगण अच्छे परिवार के सदस्य है उसके फरार होने की संभावना नहीं है। आवेदक अभियुक्तगण न्यायालय को संतोषप्रद एवं पर्याप्त राशि का बंध–पत्र एवं प्रतिभू दाखिल करने के लिए तैयार है तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले सभी शर्तो को मानने के लिए तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत की सुविधा दी जाय।

विद्वान लोक अभियोजक श्री पुरूषोत्तम यादव द्वारा जमानत आवेदन पर घोर आपत्ति किया गया।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के उपरांत मेरे द्वारा प्राथमिकी, फर्द बयान मुल अभिलेख एवं कांड़ दैनिकी का अवलोकन किया। आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्तगण हैं। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि *Independent witnesses Rajnarayan Yadav, Rajo Yadav, Baiju Yadav, Amod Yadav stated in para 09,10,11 and 12 of case diary that there is land dispute between parties. Litigants have litigating history owing to land dispute. Several round of quarrels and scuffle took place between parties. The allegation u/s 380 IPC is exaggerated one and purely ornamental. Police completed investigation and submitted charge-sheet vide no. 166/2017 dated 23/11/2017 as civil dispute.*

In view of the fact and circumstances of the case discussed above, I am inclined to enlarge the petitioner on anticipatory bail in event of arrest or surrender within 15 days from this order on furnishing bail bond of Rs. 20,000/-of two sureties of like amount.

Dictated

(Sanjeev Kumar-II)
District & Additional Sessions Judge-I
Madhepura